विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2021/ 501 दिनांक :- 18/8/21

-:: अधिसूचना ::-

विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रान्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में नवीन डिप्लोमा एवं छःमाह अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स की सम्बद्धता/निरंतरता शुल्कों का निर्धारण किए जाने हेतु गठित की गई समिति की बैठक दिनांक 12.06.2021 को आयोजित की थी, समिति द्वारा निर्धारित किए गए शुल्कों की अनुशंसा प्रस्तुत की गई, जिसे विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07.07.2021 में मान्य किया गया तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2021 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः सत्र 2021-22 से आगामी आदेश तक विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रान्तर्गत संचालित महाविद्यालय में नवीन डिप्लोमा तथा छः माही के सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम का सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क संलग्न तालिका अनुसार निर्धारित रहेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

संलग्न :- शुल्क तालिका की प्रति।

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2021/ 502 दिनांक :- 18/8/2021

प्रतिलिपि :-

01. प्राचार्य,समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
02. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. उप/सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
04. प्रभारी, ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. प्रभारी वेबसाईट,कम्प्यूटर सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
06. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (अकादमिक)

18F/New Fold /Desktop/Z-1

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

स्ववित्तीय योजनान्तर्गत आत्मनिर्भर इन्टिकेटर–16.5 अनुसार सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स के अध्यादेश /जनरल रूल्स एवं शुल्क निर्धारण हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 12.06.2021 को अपरान्ह 12:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

01. प्रो. पी.के.वर्मा – आचार्य,भौमिकी अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. प्रो. शुभा जैन – आचार्य, रसायन अध्ययनशाला,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. प्रो. एस.एन.शर्मा – सेवा निवृत्त प्राचार्य, शा.विधि महाविद्यालय, उज्जैन।
04. सहायक कुलसचिव – अकादमिक विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

–:: कार्य विवरण ::–

उपरोक्त गठित समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि, छः माह के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विनियम (Regulation) एवं एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्यादेश के प्रारूप का निर्धारण किया गया एवं उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से प्रतिपाठ्यक्रम प्रतिवर्ष लिये जाने वाले सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया गया :–

क्रं.	पाठ्यक्रम एवं अवधि	शुल्क सीट संख्या अनुसार		
		1 से 30	31 से 60	60 से अधिक
01.	सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम छः माह	15,000/–	20,000/–	50,000/–
02.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम छः माह	15,000/–	20,000/–	50,000/–
03.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम एक वर्ष	25,000/–	35000/–	60,000/–
04.	पी.जी.डिप्लोमा	40,000/–	70,000/–	85,000/–

उपरोक्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्रभावशील है।

(प्रो.पी.के.वर्मा) (प्रो.शुभा जैन) (प्रो.एस.एन.शर्मा) सहायक कुलसचिव(अकादमिक)

497 F/New Fold/Dexton/PMeeting